न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 06/2022 Gcms No. 2022/7

दायरा तिथि : 12.01.2022

प्राथमिक डिक्री दिनांकः 04.05.2022 फाईनल डिक्री दिनांक 29-07-2022

वादी :–

मोहनलाल उर्फ मोवनाराम पुत्र ओगारामजी जाति गरासिया
निवासी उपला भीमाणा तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. काली पुत्री देवाराम
2. कालीबाई पत्नि चोपाराम
3. चेनाराम पुत्र देवाराम
4. देवीबाई पत्नि देवाराम
5. नानाराम पुत्र चोपाराम
6. बदाराम पुत्र देवाराम
7. बाबुलाल पुत्र ओगाराम के कायम मुकाम वारिशः
   मीरा पुत्री बाबूलाल
8. भीमाराम पुत्र चोपाराम
9. मगाराम पुत्र देवाराम
10. मालीबाई पुत्री चोपाराम
11. मोतीराम पुत्र चोपाराम
12. रामी पुत्री देवाराम
13. लालाराम पुत्र देवाराम
14. सकी पुत्री देवाराम
15. सुगनी पुत्री देवाराम
16. सोमाराम पुत्र देवाराम तमाम जातिगण गरासिया
    निवासीगण उपला भीमाणा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
17. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री संदीप शर्मा — अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री मिलन व्यास — अभिभाषक प्रतिवादी संख्या ...05, 06, 08, 09, 11 13, 16 की ओर से
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार.................. पेरोकार सरकार

दिनांक : 29-07-22

–:: निर्णय ::–

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम उपला भीमाणा पटवार हल्का भीमाणा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 7346, 7347, 7348, 7349, 7350, 7351, 7353, 7353, 7354, 7355 कुल खसरा–10 कुल रकबा 0.35 हैक्टर किस्म बारानी सोयम व गै.मु. मकान कुल लगान 1.28 रूपये के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या–01 से 16 के रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 की प्रति की प्रति व वादी के आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या–01, 02, 04 बावजुद सम्मन तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से न्यायालय द्वारा दिनांक 21.02.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 व्यक्तिशः उपस्थित हुये तथा प्रतिवादी संख्या 05, 06, 08, 09, 11, 13 की ओर से अधिवक्ता श्री मिलन व्यास की ओर से दिनांक 21.02.2022 को उपस्थित होकर ईकबालिया जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 07 का सम्मन फौत की रिपोर्ट के साथ लौटने से उनके विधिक वारिशान मीरा पुत्री बाबूलाल को रिकार्ड पर लिया जाकर कायम मुकाम को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 07 बाबुलाल पुत्र ओगाराम के कायम मुकाम मीरा पुत्री बाबूलाल को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया जाने पर प्रतिवादी संख्या 07 के कायम मुकाम का नोटिस डेढ वर्ष पुर्व मीरा की मृत्यु होने की रिपोर्ट के साथ नोटिस प्राप्त हुआ। जिस पर न्यायालय आदेशिका दिनांक 12.04.2022 से अधिवक्ता वादी को मृत मीरा पुत्री बाबूलाल के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये जाने के प्रार्थना पत्र के साथ मृत मीरा के कायम मुकाम की तलबी हेतु पी.एफ. सम्मन प्रस्तुती के निर्देश दिये गये। दिनांक 04.05.2022 को अधिवक्ता वादी ने उपस्थित होकर वादी मोवना की ओर से एक शपथ पेश किया गया। जिस शपथ पत्र में वादी मोवना द्वारा बताया गया कि उक्त प्रकरण में कुल 16 प्रतिवादीगण है, जिनमेंसे प्रतिवादी संख्या–07 बाबूलाल पुत्र ओगाराम की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिश मीरा ही है।

पेज लगातार.......

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 06/2022 Gcms No. 2022/7
अनवान मोहनलाल उर्फ मोवनाराम बनाम काली वगैरा
<u>अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मीरा के नाम का जारी नोटिस तामील के दौरान् उस पर यह लिखकर लौटाया गया कि मीरा की मृत्यु हो चुकी है। जबकि मीरा जीवित है। जो वहीं पर निवास करती है। वादी द्वारा उक्त शपथ-पत्र नोटेरी से प्रमाणित करवाते हुये पेश किया गया। वकील वादी श्री संदीप शर्मा द्वारा दलील दी गई कि प्रकरण में कुल 16 प्रतिवादीगण है, जिसमें से 15 की तामील के बाद प्रतिवादी संख्या 1, 02, 04 वकालतन/असालतन न्यायालय में अनुपस्थित रहने से न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके है, तथा प्रतिवादी संख्या 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ने व्यक्तिशः उपस्थित होकर एवं प्रतिवादी संख्या 5, 6, 8, 9, 11, 13 ने अपने अधिवक्ता श्री मिलन व्यास के माध्यम से ईकबालिया जवाबदावा पेश कर दिया है। प्रकरण में केवल एक प्रतिवादी संख्या 07 बाबुलाल पुत्र ओगाराम की मृत्यु होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया जाकर कायम मुकाम मीरा पुत्री बाबुलाल को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी हो चुका है। जिस नोटिस पर तामील कुनिन्दा द्वारा मीरा की मृत्यु होने की रिपोर्ट करने से वादी को उनके द्वारा बुलाया गया, तो वादी ने मीरा को जीवित होना बताया, तथा इसकी पुष्टि में वादी स्वयं मोवना द्वारा नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। वादी मात्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/6 हिस्सा के अनुसार विभाजन चाहता है। अतः प्रकरण में विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन के प्रस्ताव तलब किये जाने की दलील दी गई। इस पर न्यायालय में उपस्थित प्रतिवादी संख्या 05, 08, 09, 11, 13 के अधिवक्ता श्री मिलन व्यास ने भी रिकार्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने बाबत् सहमति व्यक्त की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात् जाहिर हैं कि वादी द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम उपला भीमाणा पटवार हल्का भीमाणा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 7346, 7347, 7348, 7349, 7350, 7351, 7353, 7353, 7354, 7355 कुल खसरा–10 कुल रकबा 0.35 हैक्टर किस्म बारानी सोयम व गै.मु. मकान कुल लगान 1.28 रूपये के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज अपने 1/6 हिस्सा के अनुसार विभाजन बाबत् उक्त वाद धारा 53 के तहत पेश किया है। जिस वाद में प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04 सम्मन तामील के पश्चात् न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। तथा प्रतिवादी संख्या 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 की ओर से ईकबालिया जवाबदावा भी प्राप्त होकर शामिल पत्रावली हो चुका है। प्रकरण में वर्णित एक सह खातेदार प्रतिवादी संख्या–07 बाबुलाल पुत्र ओगाराम की मृत्यु होने से उनके विधिक वारिशान मीरा पुत्री बाबुलाल को रिकार्ड पर लिया जा चुका है। परन्तु जारी नोटिस में तामील कुनिन्दा सवार द्वारा मीरा की मृत्यु के तथ्य वर्णित किये गये, जिस बाबत् वादी स्वयं द्वारा नोटेरी से तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश करते हुये यह स्वीकार किया जा चुका है कि मीरा जीवित है तथा वहीं पर रहती है। जिससे वादी अधिवक्ता की मांग अनुसार रेकर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना न्याय संगत है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम उपला भीमाणा पटवार हल्का भीमाणा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 7346, 7347, 7348, 7349, 7350, 7351, 7353, 7353, 7354, 7355 कुल खसरा–10 कुल रकबा 0.35 हैक्टर किस्म बारानी सोयम व गै.मु. मकान कुल लगान 1.28 रूपये के संबध में रेकर्ड में दर्ज वादी का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 16 के नाम रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार पक्षकारो के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के टिनेन्सी एक्ट. की धारा 53 के तहत न्यायालय द्वारा दिनांक 04.05.2022 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर पालना प्रस्तुती के निर्देश दिये गये। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर पालना रिपोर्ट तलब की गई। न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा रेकर्ड में दर्ज खातेदारो के मध्य वादग्रस्त भूमि का विभाजन करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2021/501 दिनांक 17.06.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत कीः–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
मोहनलाल पुत्र ओगाराम हि. संपुर्ण कौम गरासिया सा. देह खातेदार	7346 7347 02	0.0400 0.0133 0.0533	बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम	0.16 0.0532	काला रंग
बाबूराम पुत्र ओगाराम के कायम मुकामः मीरा पुत्री बाबुलाल हि. संपुर्ण कौम गरासिया सा. देह खातेदार	7347/1 7348 7355 03	0.0367 0.0100 0.0066 0.0533	बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम	0.1468 0.04 0.0264	गुलाबी रंग
भीमाराम पुत्र चौपाराम हि. 1/5 नानाराम पुत्र चौपाराम हि. 1/5 मोतीराम पुत्र चोपाराम 1/5 मालीबाई पुत्री चोपाराम 1/5 कालीबाई पत्नि चोपाराम हि. 1/5 कौम गरासिया सा. देह खातेदार	7349 7350 7355/1 03	0.0400 0.0400 0.0267 0.1067	बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम	0.16 0.16 0.1068	पीला रंग

पेज लगातार.............03

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 06/2022 Gcms No. 2022/7
अनवान मोहनलाल उर्फ मोवनाराम बनाम काली वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
बदाराम पुत्र देवाराम 1/10 चेनाराम पुत्र देवाराम 1/10 लालाराम पुत्र देवाराम 1/10 सोमाराम पुत्र देवाराम 1/10 मागाराम पुत्र देवाराम 1/10 सकी पुत्री देवाराम 1/10, सुगनी पुत्री देवाराम 1/10 रामी पुत्री देवाराम 1/10 काली पुत्री देवाराम 1/10 देवीबाई पत्नि देवाराम 1/10 कौम गरासिया सा. देह खातेदार	7351 7353 7354 7355/2	0.0100 0.0300 0.0600 0.0067	बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम	0.04 0.12 0.18 0.0268	ब्ल्यु स्काई
	04	0.1067	बारानी सोयम		
शामलाती खाताः भीमाराम पुत्र चोपाराम हि. 1/15 नानाराम पुत्र चोपाराम हि. 1/15 मोतीराम पुत्र चोपाराम हि. 1/15 मालीबाई पुत्री चोपाराम हि. 1/15 कालीबाई पत्नि चोपाराम हि. 1/15 बदाराम पुत्र देवाराम हि. 1/30 चेनाराम पुत्र देवाराम हि. 1/30 लालाराम पुत्र देवाराम हि. 1/30 सोमाराम पुत्र देवाराम हि. 1/30 मागाराम पुत्र देवाराम हि. 1/30 सकी पुत्री देवाराम हि. 1/30 सुगनी पुत्री देवाराम हि. 1/30 रामी पुत्री देवाराम हि. 1/30 काली पुत्री देवाराम हि. 1/30 देवीबाई पत्नि देवाराम हि. 1/30 मोहनलाल पुत्र ओगाराम हि. 1/6 बाबुराम पुत्र ओगाराम हि. 1/6 कौम गरासिया सा. देह खातेदार	7352	0.0300	गै.मु. मकान	–	

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप शर्मा एवं छगन प्रजापत तथा प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री मिलन व्यास ने उपस्थित होकर तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन से दोनो पक्षो के अधिवक्ता सहमत है, परन्तु प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति के अनुसार राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या–07 बाबुराम पुत्र ओगाराम 1/6 हिस्सा में बतौर सह खातेदार दर्ज है, अर्थात् बाबुराम पुत्र ओगाराम का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज नहीं हुआ है। तथा उक्त वाद धारा 53 के तहत विभाजन का ही होने से रेकर्ड में दर्ज सह खातेदारो के मध्य विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किया जाना उचित समझते है। जिससे पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम उपला भीमाणा पटवार हल्का भीमाणा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 7346, 7347, 7348, 7349, 7350, 7351, 7353, 7353, 7354, 7355 कुल खसरा–10 कुल रकबा 0.35 हैक्टर किस्म बारानी सोयम व गै.मु. मकान कुल लगान 1.28 रूपये के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
मोहनलाल पुत्र ओगाराम हि. संपुर्ण कौम गरासिया सा. देह खातेदार	7346 7347	0.0400 0.0133	बारानी सोयम बारानी सोयम	0.16 0.0532	काला रंग
	02	0.0533	बारानी सोयम	0.2132	
बाबूराम पुत्र ओगाराम हि. संपुर्ण कौम गरासिया सा. देह खातेदार	7347/1 7348 7355	0.0367 0.0100 0.0066	बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम	0.1468 0.04 0.0264	गुलाबी रंग
	03	0.0533	बारानी सोयम	0.2132	
नोटः– राजस्व रेकर्ड में मीरा पुत्री बाबुलाल सह खातेदार नहीं होने से खातेदार बाबूराम पुत्र ओगाराम के नाम ही भूमि विभाजन में रखी गई है। तहसीलदार, बाली नियमानुसार मृत बाबुलाल के वारिशान के नाम नामान्तरण की कार्यवाही पृथक से सुनिश्चत करे।					
भीमाराम पुत्र चौपाराम हि. 1/5 नानाराम पुत्र चौपाराम हि. 1/5 मोतीराम पुत्र चोपाराम 1/5 मालीबाई पुत्री चोपाराम 1/5 कालीबाई पत्नि चोपाराम हि. 1/5 कौम गरासिया सा. देह खातेदार	7349 7350 7355/1	0.0400 0.0400 0.0267	बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम	0.16 0.16 0.1068	पीला रंग
	03	0.1067	बारानी सोयम	0.4268	

पेज लगातार....04

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 06/2022 Gcms No. 2022/7

अनवान मोहनलाल उर्फ मोवनाराम बनाम काली वगैरा

अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
बदाराम पुत्र देवाराम 1/10 चेनाराम पुत्र देवाराम 1/10 लालाराम पुत्र देवाराम 1/10 सोमाराम पुत्र देवाराम 1/10 मागाराम पुत्र देवाराम 1/10 सकी पुत्री देवाराम 1/10, सुगनी पुत्री देवाराम 1/10 रामी पुत्री देवाराम 1/10 काली पुत्री देवाराम 1/10 देवीबाई पत्नि देवाराम 1/10 कौम गरासिया सा. देह खातेदार	7351 7353 7354 7355/2 04	0.0100 0.0300 0.0600 0.0067 0.1067	बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम	0.04 0.12 0.24 0.0268 0.4268	
शामलाती खाताः भीमाराम पुत्र चोपाराम हि. 1/15 नानाराम पुत्र चोपाराम हि. 1/15 मोतीराम पुत्र चोपाराम हि. 1/15 मालीबाई पुत्री चोपाराम हि. 1/15 कालीबाई पत्नि चोपाराम हि. 1/15 बदाराम पुत्र देवाराम हि. 1/30 चेनाराम पुत्र देवाराम हि. 1/30 लालाराम पुत्र देवाराम हि. 1/30 सोमाराम पुत्र देवाराम हि. 1/30 मागाराम पुत्र देवाराम हि. 1/30 सकी पुत्री देवाराम हि. 1/30 सुगनी पुत्री देवाराम हि. 1/30 रामी पुत्री देवाराम हि. 1/30 काली पुत्री देवाराम हि. 1/30 देवीबाई पत्नि देवाराम हि. 1/30 मोहनलाल पुत्र ओगाराम हि. 1/6 बाबुराम पुत्र ओगाराम हि. 1/6 कौम गरासिया सा. देह खातेदार	7352	0.0300	गै.मु. मकान	—	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 1.28 **रूपये** के पांच गुणा राशि पर देय नो.ज्यू. स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भीमाना को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 29-07-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास **सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.**

वादीगण :–

वादी :–

मोहनलाल उर्फ मोवनाराम पुत्र ओगारामजी जाति गरासिया
निवासी उपला भीमाणा तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. काली पुत्री देवाराम
2. कालीबाई पत्नि चोपाराम
3. चेनाराम पुत्र देवाराम
4. देवीबाई पत्नि देवाराम
5. नानाराम पुत्र चोपाराम
6. बदाराम पुत्र देवाराम
7. बाबुलाल पुत्र ओगाराम के कायम मुकाम वारिशः
   मीरा पुत्री बाबूलाल
8. भीमाराम पुत्र चोपाराम
9. मगाराम पुत्र देवाराम
10. मालीबाई पुत्री चोपाराम
11. मोतीराम पुत्र चोपाराम
12. रामी पुत्री देवाराम
13. लालाराम पुत्र देवाराम
14. सकी पुत्री देवाराम
15. सुगनी पुत्री देवाराम
16. सोमाराम पुत्र देवाराम तमाम जातिगण गरासिया
    निवासीगण उपला भीमाणा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
17. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 06/2022 Gems No. 2022/7

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :– पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन से दोनो पक्षो के अधिवक्ता सहमत है, परन्तु प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति के अनुसार राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या–07 बाबुराम पुत्र ओगाराम 1/6 हिस्सा में बतौर सह खातेदार दर्ज है, अर्थात् बाबुराम पुत्र ओगाराम का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज नहीं हुआ है। तथा उक्त वाद धारा 53 के तहत विभाजन का ही होने से रेकर्ड में दर्ज सह खातेदारो के मध्य विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किया जाना उचित समझते है। जिससे पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम उपला भीमाणा पटवार हल्का भीमाणा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 7346, 7347, 7348, 7349, 7350, 7351, 7353, 7353, 7354, 7355 कुल खसरा–10 कुल रकबा 0.35 हैक्टर किस्म बारानी सोयम व गै.मु. मकान कुल लगान 1.28 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
मोहनलाल पुत्र ओगाराम हि. संपुर्ण कौम गरासिया सा. देह खातेदार	7346 7347	0.0400 0.0133	बारानी सोयम बारानी सोयम	0.16 0.0532	काला रंग
	02	0.0533	बारानी सोयम	0.2132	
बाबूराम पुत्र ओगाराम हि. संपुर्ण कौम गरासिया सा. देह खातेदार	7347/1 7348 7355	0.0367 0.0100 0.0066	बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम	0.1468 0.04 0.0264	गुलाबी रंग
	03	0.0533	बारानी सोयम	0.2132	
नोटः– राजस्व रेकर्ड में मीरा पुत्री बाबुलाल सह खातेदार नहीं होने से खातेदार बाबूराम पुत्र ओगाराम के नाम ही भूमि विभाजन में रखी गई है। तहसीलदार, बाली नियमानुसार मृत बाबुलाल के वारिशान के नाम नामान्तरण की कार्यवाही पृथक से सुनिश्चत करे।					
भीमाराम पुत्र चौपाराम हि. 1/5 नानाराम पुत्र चौपाराम हि. 1/5 मोतीराम पुत्र चोपाराम 1/5 मालीबाई पुत्री चोपाराम 1/5 कालीबाई पत्नि चोपाराम हि. 1/5 कौम गरासिया सा. देह खातेदार	7349 7350 7355/1	0.0400 0.0400 0.0267	बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम	0.16 0.16 0.1068	पीला रंग
	03	0.1067	बारानी सोयम	0.4268	

पेज लगातार....................02

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 06/2022 Gcms No. 2022/7

अनवान मोहनलाल उर्फ मोवनाराम बनाम काली वगैरा

अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रुपयो में)	विशेष विवरण
बदाराम पुत्र देवाराम 1/10 चेनाराम पुत्र देवाराम 1/10 लालाराम पुत्र देवाराम 1/10 सोमाराम पुत्र देवाराम 1/10 मागाराम पुत्र देवाराम 1/10 सकी पुत्री देवाराम 1/10, सुगनी पुत्री देवाराम 1/10 रामी पुत्री देवाराम 1/10 काली पुत्री देवाराम 1/10 देवीबाई पत्नि देवाराम 1/10 कौम गरासिया सा. देह खातेदार	7351 7353 7354 7355/2 04	0.0100 0.0300 0.0600 0.0067 0.1067	बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम	0.04 0.12 0.24 0.0268 0.4268	
शामलाती खाताः भीमाराम पुत्र चोपाराम हि. 1/15 नानाराम पुत्र चोपाराम हि. 1/15 मोतीराम पुत्र चोपाराम हि. 1/15 मालीबाई पुत्री चोपाराम हि. 1/15 कालीबाई पत्नि चोपाराम हि. 1/15 बदाराम पुत्र देवाराम हि. 1/30 चेनाराम पुत्र देवाराम हि. 1/30 लालाराम पुत्र देवाराम हि. 1/30 सोमाराम पुत्र देवाराम हि. 1/30 मागाराम पुत्र देवाराम हि. 1/30 सकी पुत्री देवाराम हि. 1/30 सुगनी पुत्री देवाराम हि. 1/30 रामी पुत्री देवाराम हि. 1/30 काली पुत्री देवाराम हि. 1/30 देवीबाई पत्नि देवाराम हि. 1/30 मोहनलाल पुत्र ओगाराम हि. 1/6 बाबुराम पुत्र ओगाराम हि. 1/6 कौम गरासिया सा. देह खातेदार	7352	0.0300	गै.मु. मकान	–	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 1.28 **रूपये** के पांच गुणा राशि पर देय नो.ज्यू. स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भीमाना को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29-07-22 को जारी किया गया।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना,)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

मोहर

Scanned with CamScanner